

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 416]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 12, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/25/25.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/25/26 दिनांक 23.08.2019 जारी की गई थी।

(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा, विभाग की उक्त अधिसूचना की कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई।

(3) तदपश्चात छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश

की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु "प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019" की कंडिका 08-प्रबंध को छोड़कर, कंडिका-5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/1 दिनांक 07.03.2020 जारी की गई।

(4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 05-(च) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत "प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019" के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची-एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05-(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची - एक, दो एवं तीन को जारी करता है। हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति विभाग के ई-मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(6) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची-एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

**जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन
योजना, 2019**

संशोधित अनुसूची-एक

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	सेवा सहकारी समिति मर्या., कुथरेल	भानपुरी	सेवा सहकारी समिति मर्या., चन्दखुरी
2	कृषक सेवा सहकारी समिति मर्या., कोहका	कोटनी, मोहलई	वृहत्तरकार सहकारी समिति मर्या., नगपुरा
		उरला, करहीडीह	सेवा सहकारी समिति मर्या., सिरसा
3	सेवा सहकारी समिति मर्या., रसमड़ा	खुरसुल	सेवा सहकारी समिति मर्या., नगपुरा
		अंजोरा	सेवा सहकारी समिति मर्या., थनौद
4	सेवा सहकारी समिति मर्या., निकुम	भोथली	सेवा सहकारी समिति मर्या., तिरगा
5	सेवा सहकारी समिति मर्या., हिरी	पोटिया	सेवा सहकारी समिति मर्या., टेमरी
6	सेवा सहकारी समिति मर्या., बटंग	भोथली, मगरघटा	सेवा सहकारी समिति मर्या., सांकरा
7	सेवा सहकारी समिति मर्या., बटरेल	किकिरमेटा	सेवा सहकारी समिति मर्या., बेल्हारी
8	सेवा सहकारी समिति मर्या., जामगांव एम	रुही	सेवा सहकारी समिति मर्या., झीट
9	सेवा सहकारी समिति मर्या., कुम्हली	खपरी	सेवा सहकारी समिति मर्या., मर्रा
10	सेवा सहकारी समिति मर्या., पहडोर	मोरिद	सेवा सहकारी समिति मर्या., भिलाई 3

**जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन
योजना, 2019
संशोधित अनुसूची-दो**

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	वृहत्ताकार सहकारी समिति मर्या. ननकट्टी	करंजा भिलाई	करंजा भिलाई, बासीन, झेंझरी, समोदा
2	सेवा सहकारी समिति मर्या. तिरगा	आलबरस	आलबरस, आमटी, खाड़ा
3	वृहत्ताकार सहकारी समिति मर्या. उत्तई	बोरीगारका	बोरीगारका, पाऊवारा, पुरई
	सेवा सहकारी समिति मर्या. रिसामा	मचान्दूर	मातरोडीह
4	वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्या. नगपुरा	भेड़सर	मचान्दूर, कातरो, घुघसीडीह
5	सेवा सहकारी समिति मर्या. बोरी	भेड़सर	भेड़सर, अंजोरा, ढाबा, डांडेसरा, गनियारी
6	सेवा सहकारी समिति मर्या. लिटिया	नवागांव	नवागांव, पथरिया, जोमा, परसदापार, पुण्डा
7	सेवा सहकारी समिति मर्या. घोटवा	डोड़की	डोड़की, अरसी, सुखरीकला, चीचा, देउरकोना
8	सेवा सहकारी समिति मर्या. पेण्ड्रावन	घोटवानी	घोटवानी, भाठाकोकडी, मुड़पार, धूमा, खैरझीटी, डीहपारा
		रौंदा	रौंदा, नवागांव, साल्हेखुर्द, कोनका, परसकोल
9	सेवा सहकारी समिति मर्या. देवरी	राजपुर	राजपुर, अगार, पेण्ड्री
			रक्शा
		रहटादाह	रहटादाह, डगनियाँ, नवागांव, सिरना, मोतिमपुर, पेण्ड्री, गोबरा
10	सेवा सहकारी समिति मर्या. धमधा	कुटहा	कुटहा
11	सेवा सहकारी समिति मर्या. कन्हारपुरी	बरहापुर	बरहापुर, बिरझापुर, धरमपुरा
		खिलोराकला	खपरी, परसबोड़
12	सेवा सहकारी समिति मर्या. मोहरेंगा	खिलोराकला	खिलोराकला, खिलोराखुर्द, घसरा, गाड़ाघाट, तुमाकला
13	सेवा सहकारी समिति मर्या. टेमरी	माटरा	माटरा, कंदई, गोता, हरदी
14	सेवा सहकारी समिति मर्या. सेलूद	बिरेझर	खर्वा, बिरेझर, हसदा, चिखला
15	वृहत्ताकार सहकारी समिति मर्या. पाटन	फेकारी	फेकारी, परसाही, धौराभाठा, बोहारडीह
16	सेवा सहकारी समिति मर्या. बठेना	पंदर	गुजरा, नवागांव, पंदर
17	सेवा सहकारी समिति मर्या. तेलीगुंडरा	सोनपुर	सोनपुर, सिपकोना
		डगनियाँ	तर्राघाट
18	सेवा सहकारी समिति मर्या. झीट	सावनी	डगनियाँ, खम्हरिया, भनसुली
19	सेवा सहकारी समिति मर्या. मर्रा	गाड़ाडीह	सावनी, खुड़मुडी, तुलसी, आमापेंड्री
			गाड़ाडीह, कानाकोट, गुढ़ियारी, आमालोरी

जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन

योजना, 2019

संशोधित अनुसूची-तीन

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्राम का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसके अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	सेवा सहकारी समिति मर्या., चन्दखुरी	सिकोला	सेवा सहकारी समिति मर्या., सिरसा	—
		कोडिया, बोरसी, रिसाली, धनोरा, हनोदा, कोकडी, खम्हरिया	—	सेवा सहकारी समिति मर्या कोडिया (दुर्ग)
		कसारीडीह, पोटिया, नयापारा	—	सेवा सहकारी समिति मर्या कोलिहापुरी
2	सेवा सहकारी समिति मर्या. थनौद	पिसेगांव, कोलिहापुरी, पुलगांव,	—	
3	सेवा सहकारी समिति मर्या. अहिंवारा	सहगाँव	सेवा सहकारी समिति मर्या. कोडिया (धमधा)	—
		पाहरा, सेमरिया, खपरी, डुमर घटियाखुर्द, करहीडीह	—	सेवा सहकारी समिति मर्या. पाहरा
4	सेवा सहकारी समिति मर्या. ओटेबंद	हिगंगाडीह	सेवा सहकारी समिति मर्या. नारधा	—
		मुरमुंदा, बोरसी, अछोटी	—	सेवा सहकारी समिति मर्या. मुरमुंदा
5	सेवा सहकारी समिति मर्या. नारधा	चेटुवा	—	
		जरवाय, रिंगनी	—	सेवा सहकारी समिति मर्या. नंदौरी
6	सेवा सहकारी समिति मर्या. लिमतरा	नंदौरी, दादर, पथरा	—	
7	सेवा सहकारी समिति मर्या. सांकरा	कापसी	सेवा सहकारी समिति मर्या. झीट	—
		घुघवा, खुड़मुड़ा, अमलेश्वर, कोपेडीह	—	सेवा सहकारी समिति मर्या. घुघुवा
		जमराव, महुदा,	—	सेवा सहकारी समिति मर्या. जमराव